[illegible] पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी आज मुख्यालय से बाहर है। आदेश नहीं सुनाया जा सकता है। मिसल वास्ते आदेश हेतु दिनांक 16-12-21 को पेश हो।

रीडर

16-12-21 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर आदेश किया जाता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा-251-क मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा स्वीकार किया जाता है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा वादी व प्रतिवादीगण के मौजा भवानीपुरा के ख० नं० 365, 366, 442/365, 443/365, व 364 मौके पर ख० नं० 365 व 366 खाली पड़े है। कोई फसल नहीं काश्त है। ख० नं० 366 मे उत्तरी सीमा के साथ ख० नं० 365 की उत्तरी-पश्चिमी कोने तक 50 मीटर लम्बाई व 6 मीटर-चौड़ा रास्ता चाहा गया है। यानि 0.03 हैक्टेयर भूमि ख० नं० 366 मे से रास्ते हेतु प्रस्तावित है। ख० नं० 365 रकबा 0.55 हैक्टेयर मे पश्चिमी सीमा के साथ 80 मीटर लम्बाई फिर पूर्व की तरफ ख० नं० 364 की उत्तरी पश्चिमी निकटतम सीमा तक 25 मीटर लम्बाई यानि कुल 105 मीटर लम्बा व 6 मीटर-चौड़ा रास्ता जिसका प्रस्तावित रकबा 630 वर्ग मीटर है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा संबंधित खसरो मे लाल स्याही से डोटेड करके दर्शाया गया है। इस प्रकार तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिये जाते मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी मे लाल स्याही से दर्शाये गए प्रस्तावित रास्ते का नया मार्ग कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार चिड़ावा उक्त प्रस्तावित नया मार्ग का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे व नक्शे मे तरमीम करे। नया मार्ग कायम करने मे कुल 630 वर्गमीटर भूमि रास्ते मे जायेगी। आवेदकगण को 630 वर्ग मीटर भूमि के बदले DLC राशि की दर 765117/- 0.0630 x 4 x 2 = 96420/- कुल राशी राजकोष मे [illegible] प्रभावित पक्षकारों को दी जायेगी [illegible] तहसीलदार [illegible] को नहर [illegible] जारी हो। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखील दफ्तर हो।

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी,चिड़ावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.09.30 13:12:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा मुकाम चिड़ावा

मुकदमा सुनीता बनाम रंगलाल आदि

257/चिड़ावा/ नं. 13 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
-12-21	पत्रावली पेश हुई। आवेदक के जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-152 CPC पेश कर उनवानी प्रकरण में निवेदन किया है कि दिनांक 16-12-21 को आदेश किया गया कि 630 वर्गमीटर भूमि के बदले राशि 964201/- रुपये जमा की जावे। जबकि खसरा नं. 366 में रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि भी रास्ते हेतु पटवारी रिपोर्ट में संलग्न है 0.03 हैक्टेयर की राशि आदेश में दर्ज की जाकर आवेदक जिसकी भी D.L.C. को जमा करने के आदेश किए जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 366 की रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि की D.L.C. भूमि की राशि जमा किये जाने के आदेश देने की कृपा करें। अनावेदक संख्या 1 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के खेत से जो रास्ते की भूमि की D.L.C. रेट की दुगुनी राशि दी जाती है वह अप्रार्थी नहीं प्राप्त करना चाहता है। उक्त प्रकरण दिनांक 16-12-21 को फैसला हो गया है जिसके पश्चात् आदेश भी प्रार्थी के पक्ष में हो गया है जिसमें अप्रार्थी की पूर्ण सहमति है। इस हेतु निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 रंगलाल के खेत की D.L.C. रेट प्रार्थी से जमा करवाये जाने हेतु जो आदेश है उसको संशोधित कर अप्रार्थी की D.L.C. रेट घटाकर प्रार्थी से D.L.C. रेट की राशि जमा करवाई जानी आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी के खेत की D.L.C. राशि जमा नहीं किये जाने के आदेश देने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-152 CPC स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ट रिपोर्ट तहसीलदार चिड़ावा ... प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नम्बर ... मौजा ग्राम भवानीपुरा में ... में 50 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता ... 0.03 हैक्टेयर Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Chaudhary Date: 2022.09.30 13:12:05 IST Reason: SelfAttested उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि खसरा नम्बर 366 में से जाती है जिसकी DLC राशि 765117/- 0.03 हे०= 0.03×22... 45908/- रुपये अनावेदक द्वारा राशि राजकोष में जमा करवाई जानी है। अनावेदक सं. 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अनावेदक संख्या के खेत खसरा नम्बर 365 रकबा 0.55 हे० मौजा ग्राम भवानीपुरा में से नया मार्ग कायम करने में मीटर लम्बा व 6 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 630 वर्गमीटर जिसकी DLC राशि की 765117/- 0.0630×48210×2=96420/- ... राशि बनती है जिसको अनावेदक संख्या-1 अपनी सहमति से नहीं लेना चाहता है। इस प्रकार आवे... द्वारा केवल 45908/- रुपये राशि राजकोष में जमा करवाई जानी है। तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्तानुसार राशि राजकोष में जमा की जाकर प्रस्तावित पत्रकार की दी जावे एवं तहसीलदार चिड़ावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में नये मार्ग का अमल दरामद करें एवं नक्शे में तरमीम की जावे। तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जावे है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

हुक्म या कार्यवाही

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.09.30 13:12:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner